

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक:-प.9(14)वित्त/नियम/2005 पार्ट

जयपुर, दिनांक:- 21/10/2026

परिपत्र

विषय:- समस्त सेवारत राज्य कार्मिकों के समय-समय पर किये गये वेतन निर्धारणों की पुनः जांच के संबंध में।

संदर्भ:- समसंख्यक परिपत्र दिनांक 05.05.2026, 06.07.2026 एवं 15.09.2026

वित्त (नियम) विभाग के समसंख्यक संदर्भित परिपत्रों द्वारा समस्त विभागों को अपने कार्मिकों के समय-समय पर पुनरीक्षित वेतनमानों, पदोन्नति, चयनित वेतनमान, एसीपी, एमएसीपी आदि में किये गये वेतन निर्धारणों की उनके सेवा अभिलेखों से नियमों के परिप्रेक्ष्य में पुनः गहनता से जाँच कर माह अक्टूबर, 2026 के वेतन बिलों में इस बाबत प्रमाण पत्र अंकित करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं।

राज्य कर्मचारियों के वेतन निर्धारणों की पुनः जांच कर वेतन बिलों में इस बाबत प्रमाण पत्र अंकित किये जाने हेतु निर्धारित वेतन बिल माह अक्टूबर, 2026 के स्थान पर वेतन बिल माह दिसम्बर, 2026 की जाती है।



(हरीश कुमार लालवानी)
संयुक्त शासन सचिव-।
वित्त (नियम) विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
10. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
11. समस्त कोषाधिकारी।
12. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।
13. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-7) विभाग।
14. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग (कम्प्यूटर सैल)।
15. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।



(हरीश कुमार लालवानी)
संयुक्त शासन सचिव-।

(RCS(RP)2017 - 06/2026)